बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्रांक–रा०खा०सु०मि०को०–05/2017– 361 /कृ0, पटना, दिनांक 04/12/2018

प्रेषक

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **कृषि रोड मैप के अधीन राज्य में गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिये जीरोटिलेज तकनीक के प्रत्यक्षण की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम से 2403.00 लाख (चौबीस करोड़ तीन लाख) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

कृषि रोड मैप के अधीन राज्य में गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिये जीरोटिलेज तकनीक के प्रत्यक्षण की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम से 2403.00 लाख (चौबीस करोड़ तीन लाख) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम अंतर्गत जीरोटिलेज तकनीक का गेहूँ फसल में प्रत्यक्षण कुल 66750 एकड़ में 2403.00 लाख (चौबीस करोड़ तीन लाख) रूपये की लागत से कार्यान्वित किया जायेगा।
3. इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होंगे। इस योजना मद की राशि सभी जिला कृषि पदाधिकारी को जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवंटित की जायेगी तथा इसकी निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय की पूर्ण जबाबदेही संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी की होगी। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–1 एवं जिलावार एवं कोटिवार वित्तीय लक्ष्य एवं राशि की विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है। कृषि निदेशक, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
4. इस योजना अंतर्गत जिलावार चयनित प्रखंडों, जो अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है, में ही जीरोटिलेज तकनीक का प्रत्यक्षण किया जायेगा। उपरोक्त अनुसूची–3 से आच्छादित प्रखंडों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत बी0जी0आर0ई0आई0 द्वारा जीरोटिलेज तकनीक का प्रत्यक्षण नहीं किया जायेगा। इस योजना के तहत चयनित प्रखंडों के अलावा शेष प्रखंडों में उक्त योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/बी0जी0आर0ई0आई0 द्वारा प्रत्यक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेगें।

5. प्रत्यक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर राशि का व्यय विभागीय ईकाई लागत (Unit Cost) समिति द्वारा निर्धारित 3600.00 (तीन हजार छः सौ) रूपये प्रति एकड़ की दर के अनुरूप किया जायेगा। इसके अंतर्गत किसानों को उपादान क्रय पर अधिकतम अनुदान सहायता 3280.00 रूपये प्रति एकड़ की दर से दी जायेगी। क्षेत्र दिवस का आयोजन, प्रचार–प्रसार आदि एवं वैज्ञानिक/ पदाधिकारी के क्षेत्र भ्रमण मद में कुल 320.00 रूपये प्रति एकड़ की दर से राशि व्यय अनुमान्य होगा।

किसानों द्वारा उपादानों का क्रय विभागीय ईकाई लागत (Unit Cost) समिति द्वारा निर्धारित प्रत्यक्षण मॉडल के अनुसार किया जायेगा। उक्त प्रत्यक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रत्यक्षण मॉडल का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है :

जीरोटिलेज तकनीक से गेहूँ फसल प्रत्यक्षण का मॉडल

(प्रति एकड़)

क्र0 सं0	उपादान प्रयोग	प्रयोग दर	उपादान की मात्रा	अधिकतम अनुदान सहायता राशि (रू0 में)
1	प्रमाणित बीज	40 कि0ग्राम	40 कि0ग्रा0	1280.00
2	बीज उपचार (फफूंदनाशी)	2 ग्राम/ कि0ग्राम बीज	आवश्यकतानुसार	40.00
3	खरपतवार नियंत्रण	अनुशंसा के आधार पर	अनुशंसा के आधार पर	525.00
4	जीरोटिलेज मशीन का भाड़ा	.....	.....	700.00
5	पोषक तत्व प्रबंधन	अनुशंसा के आधार पर	अनुशंसा के आधार पर	635.00
6	लीफ कलर चार्ट	.....	.....	100.00
	कुल उपादान			3280.00
7	(i) क्षेत्र दिवस का आयोजन एवं फसल कटनी प्रयोग (ii) प्रचार प्रसार सामग्री वितरण (iii) वैज्ञानिक/पदा0 का क्षेत्र भ्रमण एवं अनुश्रवण			100.00 100.00 120.00
	योग			320.00
	कुल योग			3600.00

उपर्युक्त प्रत्यक्षण मॉडल में पोषक तत्व एवं खरपतवार नियंत्रण रसायन की अनुशंसा संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक सहित कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा। उपादानों का निर्धारित मूल्य एवं वास्तविक मूल्य में अंतर होने की स्थिति में इसे निर्धारित ईकाई लागत की सीमा के अंतर्गत जो राशि न्यूनतम होगी, सीमित किया जा सकेगा।

6. प्रत्येक 25 एकड़ पर, एक प्रत्यक्षण का फसल कटनी प्रयोग एवं इसके साथ एक कंट्रोल प्लॉट का फसल कटनी प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। फसल कटनी प्रयोग क्षेत्र दिवस के अवसर पर संबंधित मद की राशि से सम्पादित किया जा सकता है जिसमें स्थानीय पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि तथा अन्य गैर प्रत्यक्षण कृषक को शामिल किया जायेगा। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को प्रचार–प्रसार सामग्री भी वितरित किया जायेगा।

7. वैसे इच्छुक एवं चयनित किसान जिनके पास जीरोटिलेज यंत्र उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रत्यक्षण में भाड़ा पर यंत्र के उपयोग हेतु 700.00 (सात सौ) रूपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम अनुदान अनुमान्य होगा। जीरोटिलेज यंत्र धारक कृषक को यंत्र भाड़ा का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. उपादान क्रय के विरूद्ध देय अनुदान सहायता राशि संबंधित कृषक को डी0बी0टी0 (एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0) के माध्यम से भुगतेय होगा।
9. जीरोटिलेज यंत्र से बुआई हेतु यंत्र के भाड़ा मद की सहायता राशि का भुगतान रकवा के सत्यापन के आधार पर लाभान्वित कृषक अथवा लाभान्वित कृषकों के सहमति पश्चात् जीरो टिलेज यंत्र धारक को डी0बी0टी0 (एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0) द्वारा किया जायेगा।
10. इस कार्यक्रम में किसानों को विभाग द्वारा निर्धारित उपादान मॉडल के आधार पर शिविर में उपादान क्रय के विरूद्ध उसके वास्तविक मूल्य की राशि अथवा अधिकतम अनुदान सहायता राशि, जो कम हो, देय होगा। किसान अपनी पसंद से प्रखंड स्तरीय उपादान वितरण शिविर में उपलब्ध अनुज्ञप्तिधारी एवं अधिकृत विक्रेता से उपादान खरीदने के लिये स्वतंत्र होंगे। विभाग द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि प्रखंड स्तरीय आयोजित शिविर में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद तथा अनुज्ञप्तिधारी/अधिकृत विक्रेता उपलब्ध हों। इस योजना में उन्हीं किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिन्हे विगत तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के लिये सहायता नहीं दी गयी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित कृषकों को उपादान उपलब्ध कराने के लिये प्रखंड स्तरीय उपादान वितरण शिविर का आयोजन किया जायेगा।
11. प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी शिविर समापन के पश्चात संबंधित लाभान्वित कृषकों की वितरण सूची एवं अभिश्रव/विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी प्राप्त वितरण सूची/अभिश्रव के आधार पर कोषागार से राशि की निकासी कर संबंधित किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से देय राशि उपलब्ध करायेंगे। प्रचार–प्रसार सामग्री वितरण तथा वैज्ञानिक/पदाधिकारी के क्षेत्र भ्रमण मद की राशि का व्यय जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से किया जा सकेगा।
12. योजना के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तर पर पदाधिकारियों/कर्मी द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रत्यक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
    I. कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित प्रत्यक्षण कार्यक्रम का शत्–प्रतिशत पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
    II. प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित प्रत्यक्षण कार्यक्रम का क्रमशः 25%, 10%, 5% एवं 1% पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
    III. परियोजना निदेशक, आत्मा एवं बामेती, पटना द्वारा क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर प्रत्यक्षण कार्यक्रम का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कृषक अथवा कृषक समूह का सफलता की कहानी तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
    IV. जिला एवं प्रमंडल स्तर पर पौधा संरक्षण पदाधिकारियों द्वारा प्रत्यक्षण स्थल का सतत् भ्रमण कर फसल की स्थिति से क्रमशः जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को अवगत कराया जायेगा।
    V. प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल पर कृषि विज्ञान केन्द्र से समन्वय स्थापित कर विशेषज्ञों का नियमित रूप से स्थल भ्रमण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करायेगें।
    VI. बामेती, पटना द्वारा इस योजना के प्रभाव का Concurrent Evaluation स्वतंत्र एजेंसी का चयन कर सुनिश्चित कराया जायेगा।

13. प्रत्यक्षण समूह (क्लस्टर) में आयोजित किया जायेगा जिसका न्यूनतम रकवा पच्चीस एकड़ का होगा। एक कृषक को अधिकतम एक एकड़ तथा न्यूनतम 0.25 एकड़ के लिये प्रत्यक्षण का लाभ दिया जायेगा। पच्चीस एकड़ का क्लस्टर प्रत्यक्षण किसी एक चयनित ग्राम में किया जायेगा।
14. इस योजना अंतर्गत उपादानों का वितरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड स्तरीय आयोजित शिविर में कार्यान्वित किया जायेगा। शिविर में प्रत्यक्षण मॉडल एवं प्रखंडवार लक्ष्य के अनुसार गुणवत्तायुक्त उपादानों की व्यवस्था की पूर्ण जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी की होगी।
15. जो भूस्वामी स्वयं खेती नहीं करते हैं उन्हें इस कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं किया जायेगा। उक्त के आलोक में किसानों के चयन की पूरी जवाबदेही किसान सलाहकार की होगी।
16. भूमिहीन जोतदार कृषक को भी इस कार्यक्रम का लाभ दिया जा सकेगा।
17. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के कृषकों हेतु आरक्षित प्रतिशत का शत्–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये ठोस प्रयास किये जायेंगें तथा लक्ष्य से अधिक माँग होने पर इन्हें चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
18. कार्यक्रम का लाभ लेने के लिये चयनित कृषक को प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
19. चयनित स्थल एवं संबद्ध किसानों की सूची उपादान वितरण से एक सप्ताह पूर्व पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा। साथ ही कृषि विभाग के वेबसाईट पर भी अपलोड किया जायेगा।

    उपादान वितरण के पश्चात् लाभान्वितों की सूची विहित प्रपत्र में कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
20. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशा निदेर्शों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।
21. प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अंतर्गत आवश्यकतानुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में परिवर्तन किया जा सकेगा।
22. प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश उपर्युक्त निदेश के अनुसार संशोधित एवं प्रभावी माना जायेगा। आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन अनुदेश में अतिरिक्त संशोधन/समावेश प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

बजट शीर्ष एवं राशि की उपलब्धता निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–माँग संख्या–01 उप शीर्ष–0106– इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना विपत्र कोड–01– 2401001090106, विषयशीर्ष–0106.33.01–सब्सिडी	4316.00	1994.49
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–माँग संख्या–01 उप शीर्ष–0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्रकोड–01– 2401007890106, विषयशीर्ष–0106.33.01–सब्सिडी	832.00	384.48
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–माँग संख्या–01 उप शीर्ष–0134– इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना विपत्र कोड–01–2401007960134, विषयशीर्ष–0134.33.01–सब्सिडी	52.00	24.03
कुल	5200.00	2403.00

23. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होगें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित मद की राशि की निकासी विपत्र के अधार पर संबंधित कोषागार से की जायेगी।